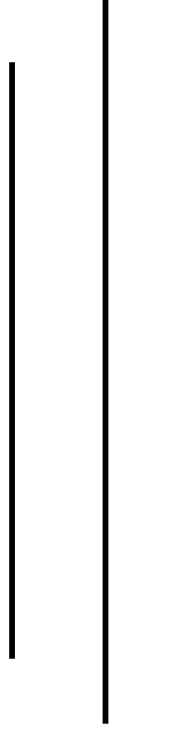




झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका



विज्ञापन संख्या-04 / 2026

झारखण्ड प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा – 2026
(नियमित भर्ती)

JTAACCE-2026 (Para Teacher)
(Regular Vacancy)

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या – 4411, दिनांक-07.07.2026 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग के पत्रांक-1118 दिनांक-03.07.2026 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में “झारखण्ड प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा – 2026 (नियमित भर्ती)” के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट <https://jssc.jharkhand.gov.in/> पर लॉगइन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क:-

(क) परीक्षा शुल्क रु. 100/- (सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट – झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 50/- (पचास रुपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-8559, दिनांक-23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(ख) आरक्षित वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या-05/2026 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 1198 है। विज्ञापन संख्या 04/2026 एवं 05/2026 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।

3. रिक्तियों का विवरण :-

(क) इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-1 से 5) (नियमित रिक्ति)

इण्टर प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि)																						
जिला का नाम	कोटिवार रिक्ति नियमित						Total	क्षैतिज आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण							आंदोलनकारी के आश्रित हेतु (6 प्रतिशत)	आदिम जनजाति (2 प्रतिशत अ. ज.जा. के अन्तर्गत)	खेल कुद कोटा (2 प्रतिशत)
								दिव्यांगजन					महिला									
	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS		दृष्टि निश्चक्ता	बहरापन एवं श्रवण निश्चक्ता	चलन निश्चक्ता	स्वीनीमा एवं बहु निश्चक्ता	कुल	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS	कुल			
चतरा	39	7	16	0	0	6	68	2	1	1	1	5	2	0	1	0	0	0	3	3	0	1
बोकारो	24	6	8	0	0	4	42	1	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
देवघर	26	7	7	0	0	4	44	1	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
धनबाद	36	7	12	0	0	6	61	1	1	1	1	4	2	0	1	0	0	0	3	3	0	1
दुमका	70	79	8	0	0	17	174	3	3	3	2	11	4	4	0	0	0	1	9	8	1	3
गिरिडीह	78	23	25	0	0	19	145	3	2	2	2	9	4	1	1	0	0	1	7	7	0	2
गढ़वा	10	4	5	0	0	2	21	1	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
पूर्वी सिंहभूम	47	32	4	0	0	9	92	2	1	1	1	5	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
गोड्डा	34	21	6	0	0	6	67	2	1	1	1	5	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
गुमला	51	59	4	0	0	12	126	2	2	2	1	7	3	3	0	0	0	1	7	6	1	2
हजारीबाग	33	3	16	0	0	5	57	1	1	1	1	4	2	0	1	0	0	0	3	2	0	1
खूंटी	33	36	4	0	0	7	80	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
जामताड़ा	28	22	6	0	0	6	62	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	0	2	3	0	1
कोडरमा	16	3	6	0	0	2	27	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
लातेहार	18	14	8	0	0	4	44	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
लोहरदगा	18	21	1	0	0	4	44	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
पाकुड़	25	23	3	0	0	5	56	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1
पलामू	25	5	16	0	0	5	51	2	2	2	1	7	1	0	1	0	0	0	2	2	0	1
रामगढ़	6	4	1	0	0	1	12	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रांची	75	50	6	0	0	14	145	2	2	1	1	6	4	3	0	0	0	1	8	7	1	2
साहेबगंज	42	39	5	0	0	9	95	2	1	1	1	5	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
सरायकेला— खरसावाँ	46	43	5	0	0	10	104	2	2	1	1	6	2	2	0	0	0	1	5	5	0	2
सिमडेगा	36	38	6	0	0	8	88	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
पश्चिम सिंहभूम	82	94	8	0	0	20	204	3	3	2	2	10	4	5	0	0	0	1	10	10	1	4
कुल	898	640	186	0	0	185	1909	38	33	28	24	123	46	31	5	0	0	6	88	87	4	26

(ख) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-6 से 8) – भाषा ज्ञान (नियमित रिक्ति)

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा (पारा कोटि)																						
जिला का नाम	कोटिवार रिक्ति नियमित						Total	क्षैतिज आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण							आंदोलनकारी के आश्रित हेतु (6 प्रतिशत)	आदिम जनजाति (2 प्रतिशत अ. ज.जा. के अन्तर्गत)	खेल कुद कोटा (2 प्रतिशत)
								दिव्यांगजन					महिला									
	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS		दृष्टि निःशक्तता	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता	स्त्रीलता एवं बहु निःशक्तता	कुल	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS	कुल			
चतरा	46	7	20	1	11	9	94	1	1	1	1	4	2	0	1	0	1	0	4	4	0	1
बोकारो	26	8	10	0	5	5	54	1	1	1	0	3	1	0	1	0	0	0	2	2	0	1
देवघर	42	12	12	2	11	8	87	1	1	1	1	4	2	1	1	0	1	0	5	4	0	1
धनबाद	35	6	12	2	8	6	69	1	1	1	0	3	2	0	1	0	0	0	3	3	0	1
दुमका	54	60	6	0	0	13	133	2	2	1	1	6	3	3	0	0	0	1	7	6	1	2
गिरिडीह	77	24	25	10	18	16	170	2	2	2	1	7	4	1	1	1	1	1	9	8	0	3
गढ़वा	30	10	16	0	0	6	62	1	1	1	0	3	2	1	1	0	0	0	4	3	0	1
पूर्वी सिंहभूम	40	25	3	0	6	8	82	1	1	1	1	4	2	1	0	0	0	0	3	4	0	1
गोड्डा	32	20	6	0	5	6	69	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
गुमला	35	41	2	0	0	8	86	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
हजारीबाग	31	2	15	0	5	5	58	1	1	1	0	3	2	0	1	0	0	0	3	2	0	1
खूंटी	18	20	2	0	0	4	44	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
जामताड़ा	25	20	5	0	0	5	55	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1
कोडरमा	17	2	2	2	4	2	29	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
लातेहार	25	18	12	0	0	5	60	1	1	1	0	3	1	1	1	0	0	0	3	3	0	1
लोहरदगा	12	13	1	0	0	2	28	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
पाकुड़	21	22	2	0	0	4	49	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
पलामू	95	16	60	5	12	20	208	3	2	2	2	9	5	1	3	0	1	1	11	10	0	4
रामगढ़	14	5	3	0	2	2	26	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
रांची	40	45	5	0	0	10	100	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	1	5	5	0	2
साहेबगंज	30	25	3	0	0	6	64	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
सरायकेला— खरसावाँ	40	38	5	0	2	9	94	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
सिमडेगा	18	19	3	0	0	4	44	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
पश्चिम सिंहभूम	42	48	3	0	0	10	103	2	1	1	1	5	2	2	0	0	0	1	5	5	0	2
कुल	845	506	233	22	89	173	1868	29	27	20	11	87	45	24	11	1	4	5	90	84	1	26

(ग) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-6 से 8) – सामाजिक विज्ञान
(नियमित रिक्ति)

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान (पारा कोटि)																						
जिला का नाम	कोटिवार रिक्ति नियमित						Total	क्षैतिज आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण							आंदोलनकारी के आश्रित हेतु (5 प्रतिशत)	आदिम जनजाति (2 प्रतिशत अ.ज.जा. के अन्तर्गत)	खेल कुद कोटा (2 प्रतिशत)
								दिव्यांगजन					महिला									
	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS		दृष्टि निःशक्ता	बहरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता	स्वलीनता एवं बहु निःशक्ता	कुल	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS	कुल			
चतरा	7	2	2	0	0	1	12	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बोकारो	5	1	1	0	0	0	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
देवघर	9	2	3	0	0	1	15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
धनबाद	7	1	2	0	0	0	10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दुमका	26	29	3	0	0	6	64	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	0	2	3	0	1
गिरिडीह	19	6	5	0	0	3	33	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
गढ़वा	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वी सिंहभूम	24	20	1	0	0	4	49	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
गोड्डा	12	7	2	0	0	2	23	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
गुमला	19	22	1	0	0	4	46	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
हजारीबाग	6	1	1	0	0	0	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खूंटी	10	11	1	0	0	2	24	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
जामताड़ा	17	13	4	0	0	3	37	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
कोडरमा	4	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लातेहार	9	8	3	0	0	2	22	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
लोहरदगा	2	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाकुड़	11	10	1	0	0	2	24	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
पलामू	24	5	15	0	0	4	48	2	1	1	1	5	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0
रामगढ़	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रांची	9	7	0	0	0	1	17	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
साहेबगंज	21	19	3	0	0	4	47	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
सरायकेला – खरसावाँ	32	28	4	0	0	6	70	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
सिमडेगा	16	6	0	0	0	3	25	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
पश्चिम सिंहभूम	26	30	2	0	0	6	64	1	1	1	0	3	1	2	0	0	0	0	3	3	0	1
कुल	318	232	56	0	0	54	660	25	15	6	2	48	14	10	1	0	0	0	25	24	0	3

(घ) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-6 से 8) – विज्ञान एवं गणित
(नियमित रिक्ति)

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित एवं विज्ञान (पारा कोटि)																						
जिला का नाम	कोटिवार रिक्ति नियमित						Total	क्षैतिज आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण						आंदोलनकारी के आश्रित हेतु (६ प्रतिशत)	आदिम जनजाति (२ प्रतिशत अ.ज.जा. के अन्तर्गत)	खेल कुद कोटा (२ प्रतिशत)	
								दिव्यांगजन					महिला									
	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS		दृष्टि निःशक्ता	बहरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता	बहु निःशक्ता	कुल	UR	ST	SC	EBC-I	BC-II	EWS				कुल
चतरा	40	8	20	8	8	9	93	1	1	1	1	4	2	0	1	0	0	0	3	4	0	1
बोकारो	3	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
देवघर	22	6	6	6	5	`	45	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1
धनबाद	11	2	4	4	3	2	26	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
दुमका	48	53	6	0	0	11	118	2	1	1	1	5	2	3	0	0	0	1	6	5	1	2
गिरिडीह	71	24	25	4	10	14	148	2	2	1	1	6	4	1	1	0	1	1	8	7	0	2
गढ़वा	30	10	18	5	2	7	72	1	1	1	0	3	2	1	1	0	0	0	4	3	0	1
पूर्वी सिंहभूम	29	25	4	0	4	6	68	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	3	1	1
गोड्डा	33	20	6	2	4	7	72	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	3	3	0	1
गुमला	41	2	45	0	0	9	97	1	1	1	1	4	2	0	2	0	0	0	4	4	0	1
हजारीबाग	24	2	15	0	5	4	50	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	2	0	1
खूंटी	21	20	0	0	0	4	45	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
जामताड़ा	26	22	5	0	0	5	58	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1
कोडरमा	17	3	8	5	2	3	38	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
लातेहार	30	20	14	0	0	6	70	1	1	1	0	3	2	1	1	0	0	0	4	3	0	1
लोहरदगा	13	15	1	0	0	3	32	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0
पाकुड़	25	22	2	0	1	5	55	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1
पलामू	95	15	60	6	10	20	206	3	2	2	2	9	5	1	3	0	1	1	11	10	0	4
रामगढ़	10	5	3	0	1	2	21	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
रांची	18	17	2	0	0	4	41	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
साहेबगंज	27	25	3	0	1	6	62	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	3	0	1
सरायकेला – खरसावाँ	37	35	5	0	2	8	87	1	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	1
सिमडेगा	20	20	3	0	0	4	47	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
पश्चिम सिंहभूम	45	50	3	0	0	10	108	2	1	1	1	5	2	3	0	0	0	1	6	5	1	2
कुल	736	422	259	40	58	149	1664	29	24	16	8	77	38	21	10	0	2	4	75	72	3	22

➤ कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

➤ **टिप्पणी:** अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से 2 (दो) प्रतिशत रिक्तियाँ आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

➤ **टिप्पणी:** विधि (विज्ञान) विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या एल.जी.-13/2023-21/लेज. दिनांक 22.04.2025 के द्वारा प्रावधानित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 1938 दिनांक 20.04.2021 की कंडिका-2(vi) के अनुसार झारखण्ड अलग राज्य बनाए जाने हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों के एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। जिला अथवा अंचल स्तर से निर्गत आंदोलनकारी एवं आंदोलनकारी के आश्रित से संबंधित वैध प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने तथा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

5. कंडिका – 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं वांछित शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:—

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	वांछित शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1.	इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) (कक्षा 1 से 5)	लेवल- 4 25,500 /— से 81,100 /—	प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो:— न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार सत्र 2007–2009 तक प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण। साथ ही, झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	वांछित शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
2.	स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) गणित एवं विज्ञान शिक्षक (पारा कोटि) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान/ अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी/ कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय के साथ उत्तीर्ण हों।	लेवल- 5 29,200 /- से 92,300 /-	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 में) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:- स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हों, अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो, अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी. एड. (BA, BSC,Ed.) या बी.ए. एड. (BA,Ed.)/बी.एस.सी. एड. (BSC,Ed.) अथवा
3.	स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) सामाजिक विज्ञान शिक्षक (पारा कोटि) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, कला/ मानविकी/ सामाजिक विज्ञान /वाणिज्य /प्रबंधन विषय में न्यूनतम 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों।		

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	वांछित शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
4.	स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) भाषा शिक्षक (पारा कोटि) – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्दू/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/ संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण।		न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 03 वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड. एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेड) में उत्तीर्ण। साथ ही, झारखण्ड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कक्षा 6 से 8 के लिये आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण एवं झारखण्ड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

वांछित शैक्षणिक योग्यता:-

- (i) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे। आवेदन में भरे गए प्रविष्टि से इतर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग- अनुसूची-1/ पिछड़ा वर्ग- अनुसूची-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (iii) अभ्यर्थी जिस विषय/ विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय/ विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य (पारा कोटि) पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (iv) अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

- (v) जेटेट/अन्य टेट परीक्षा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा।
- (vi) खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-‘ग’ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	द्वितीय/तृतीय स्थान
2.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी	राष्ट्रीय रिकार्ड

नोट:- उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 आयोग के वेबसाईट <https://jssc.jharkhand.gov.in/> पर उपलब्ध है।

6. अनुभव :- विज्ञापन अन्तर्गत सभी पद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों, के लिए आरक्षित रहेंगे।

पारा शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा एवं कक्षा 6 से 8 के लिए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट **XV** एवं परिशिष्ट **XVI** में धारित है।

7. पारा अभ्यर्थियों के लिए उम्र की गणना 01.08.2026 के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:-

(क) न्यूनतम उम्र सीमा - 21 वर्ष (दिनांक 01.08.2026 के आधार पर)

(ख) अधिकतम उम्र सीमा –

- | | | | |
|-------|--|---|----------|
| (i) | अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | – | 35 वर्ष। |
| (ii) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं
पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष) | – | 37 वर्ष। |
| (iii) | महिला [अनारक्षित, आ.क.व., अ.पि.व. (अनु.-1)
एवं पि.व. (अनु.-2)]] | – | 38 वर्ष। |
| (iv) | अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला) | – | 40 वर्ष। |
| (v) | अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) | – | 40 वर्ष। |

(ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पंथ से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- X) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सामान्यतः मान्य करने पर आयोग विचार करेगा।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, को संविदा कर्मियों के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।

8. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी:—

- (i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट— XI)** उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका—(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

9. **I.** परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि

इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिका-5, 6, 7 एवं 8 में विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

10. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

11. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-VIII** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-IX** पर धारित है।

(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

- (च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. (II) जाति प्रमाण पत्र-

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-I** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-II** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट- III** पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-IV** पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-V** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-VI** पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यक्षीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (**परिशिष्ट-VII**) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्य/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

- (ज) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोट:-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट-IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (Spelling)

मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (Spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

- (IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट किए गए प्रमाण-पत्र को जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र (जाति, स्थानीय एवं अन्य प्रमाण पत्र) मान्य नहीं होंगे।

12. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:-

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
- (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।
- (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।
- (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

13. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना:—

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट <https://jssc.jharkhand.gov.in/> पर जाएँ एवं Online Application for **JTAACCE-2026 (Para Teacher)** को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग—ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगईन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

- v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

14. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :-

- क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक— 31.07.2026 से दिनांक— 30.08.2026 की मध्य रात्रि तक।
- ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक— 01.09.2026 की मध्य रात्रि तक।
- ग) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक— 03.09.2026 की मध्य रात्रि तक।
- घ) दिनांक— 05.09.2026 से दिनांक— 07.09.2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

15. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:-

दिनांक- 05.09.2026 से दिनांक- 07.09.2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत द्विव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को द्विव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

16. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने **JTAACCE -2026 (Para Teacher)** Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

17. परीक्षा का स्वरूप :-

आयोग द्वारा ओ.एम.आर./कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) ली जायेगी, यदि किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation आयोग के वेबसाईट <https://jssc.jharkhand.gov.in/> पर प्रकाशित फॉर्मूला के अनुसार किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-

(क) परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

(ख) परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंको की कटौती नहीं की जायेगी।

18. मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम :-

(क) इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम:- मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 03 पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2/इण्टर स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
पत्र-1	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/हो/खड़िया/कुडूख (उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा (अर्हक प्रवृत्ति)	100	100	2:00 घंटे
पत्र-2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा – हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/हो/खड़िया/कुडूख (उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा	100	100	2:00 घंटे
पत्र-3	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-	50	50	3:00 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान-	75	75	
	(iii) विज्ञान एवं गणित-	75	75	
कुल		300+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	300+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

नोट:- पत्र-1 सभी कोटि के अभ्यर्थियों को माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

पाठ्यक्रम :-

- क) पत्र-1 के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।
- ख) पत्र-2 का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-XII** पर धारित है।
- ग) पत्र-3 के खण्ड (i) में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 (घ) (i से vi) तथा पत्र-3 के खण्ड (ii) एवं (iii) में अंकित विषय के अन्तर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा।
- घ) **सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी :-**

(i) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ii) सामान्य विज्ञान:-

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा

कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(iii) सामान्य गणित:-

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(iv) मानसिक क्षमता जाँच:-

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं –सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(v) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान:-

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम.एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(vi) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

ड) **सामाजिक विज्ञान** – झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा।

च) विज्ञान एवं गणित – झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा।

18. (ख) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम:- मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 04 पत्र होंगे। यह परीक्षा चार पालियों में ली जायेगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
पत्र-1	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरटा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/ संस्कृत में से कोई एक भाषा (अर्हक प्रवृत्ति)	100	100	2:00 घंटे
पत्र-2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा – हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्दू/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरटा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/ संस्कृत में से कोई एक भाषा।	100	100	2:00 घंटे
पत्र-3	सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-	100	100	2:00 घंटे
पत्र-4	वैकल्पिक विषय (कोई एक)-			
(I)	गणित एवं विज्ञान शिक्षक-(i) गणित (ii) भौतिकी (iii) रसायनशास्त्र (iv) वनस्पति विज्ञान तथा (v) प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र पाँच खण्डों में विभक्त होगा (अभ्यर्थी किसी तीन खण्ड से ही उत्तर दे सकेंगे) नोट:-उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।	180	180	3:00 घंटे
(II)	सामाजिक विज्ञान शिक्षक-(i) इतिहास (ii) भूगोल (iii) राजनीति विज्ञान (iv) अर्थशास्त्र (v) समाज शास्त्र (vi) लेखा शास्त्र (vii) व्यापार अध्ययन (Business Studies) में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र सात खण्डों में विभक्त होगा जिसमें किसी तीन खण्डों को ही उत्तर देना होगा। नोट:- उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के	180	180	

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
	आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।			
(III)	भाषा शिक्षक— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा—हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट:—उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।	180	180	
कुल		380+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	380+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

नोट:— पत्र-1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

पाठ्यक्रम :-

- क) पत्र-1 के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।
- ख) पत्र-2 का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट—XIII** पर धारित है।
- ग) पत्र-3 का पाठ्यक्रम इण्डटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, किन्तु प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा।
- घ) पत्र-4 का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट—XIV** पर धारित है।
- ङ) पत्र-4 के अन्तर्गत भाषा विषयों का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट—XIII** के अनुरूप होगा।

19. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरान्त ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ii) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ जाति प्रमाण/स्थानीय प्रमाण/अनुभव प्रमाण पत्रों इत्यादि अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।
- (iv) मेधासूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड सरकार द्वारा तय मापदण्डों के अनुरूप की जायेगी।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-
- | | |
|---|-------------------------------|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला- | 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -(अनुसूची-1) | — 34 (चौत्तीस) प्रतिशत |
| (iv) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 | — 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत |
| (v) आदिम जनजाति | — 30 (तीस) प्रतिशत |
- (v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधासूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी।

ऑनलाईन आवेदन में किए गए मेधा-सह-विकल्प के आलोक में अंतिम चयन किया जाएगा।

- (vi) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।
- (vii) जेटेट/अन्य टेट परीक्षा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका-19 के आधार पर मेधासूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता/ अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

21. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधधीन होगी।

22. अन्यान्य:-

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
 - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :-
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-
- (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना एवं आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
 - (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
 - (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
 - (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
 - (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रुपये) शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

(xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

(xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

(xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम एवं स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह./—
परीक्षा नियंत्रक।